

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक एल 1-10 / 2017 / ब-7 / डीएमसी / चार ६५५
प्रति,

भोपाल दिनांक 17/04/2017

आयुक्त,
कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन,
मध्यप्रदेश, भोपाल
फैक्स - 0755-2676030।

विषय :- राज्य शासन के कोष से देयक / चेक्स के आहरण के संबंध में।

संदर्भ :- क्रमांक एल 1-10 / 1496 / 2016 / ब-7 / डीएमसी / चार भोपाल दिनांक 26/11/2016
000

विषयांकित सभी आदेशों को अधिकमित करते हुए, संदर्भित आदेश जिसमें ₹ 5 करोड़ से अधिक आहरण के लिये वित्त विभाग की अनुमति की आवश्यकता निर्धारित है, को निरस्त करते हुये निर्माण कार्य विभाग / वन विभाग (WDDF / FDDF के देयकों) सहित ₹ 25 करोड़ से अधिक राशि के देयकों के कोषालय से आहरण के लिए निम्नांकित मदों के देयकों को छोड़कर शेष भी देयकों के आहरण हेतु वित्त विभाग से पूर्व अनुमति की आवश्यकता निर्धारित की जाती है:-

- I. चौदहवें वित्त आयोग से संबंधित आहरण।
 - II. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम के तहत देय वापसियों से संबंधित आहरण।
 - III. भू-अर्जन से संबंधित राशि एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए आवश्यक आहरण।
 - IV. केन्द्रीय मुद्रांक डिपो नासिक से संबंधित आहरण।
 - V. केन्द्र क्षेत्र / प्रवर्तित योजनाओं के देयक केन्द्र की राशि राज्य शासन के खाते में जमा होने पर आहरण।
 - VI. बाह्य पोषित योजनाओं के प्रतिपूर्ति से संबंधित आहरण।
 - VII. स्वेच्छानुदान / विधायक निधि से संबंधित आहरण।
- 2/- सभी प्रकार के देयकों के आहरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जायेंगी।
- 3/- सभी प्रकार के आहरण में वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका / प्रत्यायोजित अधिकार (Book of Financial Power / Delegated Power) का कठोरतापूर्वक पालन किया जावे। जिन प्रकरणों में राशि आहरण हेतु वित्तीय अधिकारों को प्रत्यायोजित नहीं किया गया हैं, उन समस्त प्रकरणों में वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने की पश्चात् ही देयक शासकीय कोष से आहरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11/2/11

// 2 //

4/- वित्त विभाग में प्रस्तुत किये जाने वाले आहरण अनुमति के प्रस्तावों में निम्न विवरण दिया जायेगा :—

- (i) आहरण संवितरण अधिकारी का नाम (DDO) जिनके द्वारा आहरण किया जायेगा।
 - (ii) कोषालय का नाम जिसमें आहरण हेतु देयक प्रस्तुत किया जायेगा।
 - (iii) बजट प्रावधान जो जारी किया गया एवं शेष का आवंटन प्रमाणीकरण।
 - (iv) यह प्रमाण पत्र की राशि आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखी जावेगी।
- 5/- यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
- 6/- उपरोक्त निर्देश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे।

(अजीत कुमार)

संचालक बजट एवं अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृ.कं. एल1-10/ 1/2017/ब-7/डीएमसी/चार ६४५
प्रतिलिपि :—

भोपाल दिनांक 17/04/2017

1. शासन के समर्त विभाग, समर्त विभागाध्यक्ष एवं बजट नियंत्रण अधिकारी, मध्यप्रदेश।
2. समर्त संभागायुक्त/जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश।
3. समर्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।
4. वित्त विभाग की समर्त बजट शाखाओं/बजट अधिकारियों की ओर सूचनार्थ।
5. समर्त कोषालय/उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

(रुपेश कुमार पठदार)

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल